

## उपस्थिति : यथापंजी।

जहानाबाद नगर क्षेत्र के काको रोड में बस स्टैंड का निर्माण तीन करोड़ रुपये की लागत से बुड़को के द्वारा किया जाना है। इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए इस बस स्टैंड को खाली किये जाने के लिए बसों को रुटवार अन्य स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर परिषद, जहानाबाद एवं बस ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक आयोजि की गई। जिसमें निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया :—

1. गया, पटना, बंधुगंज, घोषी, एकंगरसराय जाने वाले बसों के परिचालन के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन के खाली बस डिपों के प्रयोग पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना से इस संबंध में सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।
2. अरवल, कुर्था, पाली, रत्ननी फरीदपुर, शकुराबाद जाने वाले बसों के परिचालन के लिए बाजार समिति, राजाबाजार के प्रांगन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रशासक, बिहार कृषि विपणन परिषद (विघटित), पंत भवन, बेली रोड, पटना से इस संबंध में सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।
3. बस ट्रांसपोर्टरों के द्वारा अनुरोध किया गया कि बाजार समिति प्रांगन में महिलाओं के लिए चार-पाँच शौचालय, चार-पाँच चापाकल एवं यात्री शेड का निर्माण कराया जाय। साथ ही अवैध यात्री वाहनों को रोकने के लिए बाजार समिति मोड़ के पास पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाय।

जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि तत्काल वहाँ अस्थाई शौचालय का निर्माण एवं पूर्व से निर्मित शौचालय की सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद)

श्री राकेश कुमार, परियोजना निदेशक, बियाडा, पटना को निदेश दिया गया कि वहाँ यात्री शेड का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : श्री राकेश कुमार, परियोजना निदेशक, बियाडा, पटना )

जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि वहाँ स्थाई शौचालय निर्माण पानी सहित का प्राक्कलन तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद इसके लिए स्थल चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद)

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के द्वारा बाजार समिति मोड़ के पास यातायात पुलिस की व्यवस्था की जायेगी।

(अनुपालन : पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद)

4. बस ट्रांसपोर्टरों के द्वारा बताया गया कि बस अड़ा का सैरात नहीं होने के बावजूद भी उनसे राशि की वसूली की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि विभागीय वसूली की जा रही है। इस पर ट्रांसपोर्टरों के द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि दोनों जगहों पर विभागीय वसूली करायेंगे तथा इसके लिए रसीद भी ट्रांसपोर्टरों को देंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद)

5. बस ट्रांसपोर्टरों के द्वारा यह बताया गया कि राजाबाजार रेलवे पुल के नीचे सड़क टूट जाने के कारण पानी का जमाव रहता है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं आम नागरिकों

के पैदल चलने में भी परेशानी होती है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि अविलम्ब स्थल का भ्रमण कर इसकी मरम्मती कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद)

6. बस ट्रांसपोर्टरों के द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि छोटे यात्री वाहन यथा मैजिक, जीप, विक्रम आदि अवैध रूप से बिना परमिट वाले रूट में यात्रिओं का उठाव करते हैं, जिसे रोका जाय। जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि इसके लिए आप सुनिश्चित करायें कि थ्री सीटर वाले टेम्पू नगर सेवा में ही कार्य करें तथा बिना परमिट वाले रूट में कोई भी छोटे यात्री वाहन आवागमन न करें। इसके कड़ाई पूर्वक सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद)

7. इन कार्यों के लिए श्री मनोरंजन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करते हुए निदेश दिया गया कि दिनांक 22.06.2014 (रविवार) से नये चयनित स्थलों से ही बसों के परिचालन प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि बस अडडा का निर्माण कार्य बुड़को के द्वारा प्रारम्भ किया जा सके।

(अनुपालन : अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद )

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक/०४४/गो०, जहानाबाद

दिनांक 19 वीं जून, 2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद / अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद / जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद / श्री राकेश कुमार, परियोजना निदेशक, बुड़को, पटना / बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जहानाबाद एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।